खण्ड–7

संख्या–11

नवम् बिहार विधान सभा

विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(सप्तम् सत्र)

(भाग–02 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

बृहस्पतिवार, तिथि 9 जुलाई, 1987 ई०।

बिहार विधान-सभा वाद-वृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग–02 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

बृहस्पतिवार, तिथि 9 जुलाई, 1987 ई० ।

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ	7-12
2.	शून्यकाल की चर्चाएँ :	
	(क) बाँके यादव के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई	12
	(ख) लखनदेई नदी से भौप्रसाद गाँव की जनता को जान-माल की खतरा	12
	(ग) मकबरा की मरम्मती एवं अवैध कब्जे हटाने की माँग	13
	(घ) मृतक लोगों के परिवार को ठीकेदार से मुआवजा दिलाना एवं पुल का निर्माण करना	13
	(ङ) गृहकर पदाधिकारी की धांधली	13
	(च) अमरपुर (भागलपुर) के थाना प्रभारी श्री ए० के० सिंह के विरुद्ध कार्रवाई	14
	(छ) गाड़ा चौंने नहर में फाटक के अभाव से फसल की बर्बादी	14

(ज) मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मीनापुर क्षेत्र में नाला को चालू करना 15

(झ) थाना प्रभारी की निष्क्रियता के कारण डकैती 15-17

3. **वित्तीय कार्य आय-व्यय (1987-88) अनुदानों की माँगों पर मतदान :**

(क) बेरोजगार डाक्टर की बहाली एवं मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा 93-99

4. **अत्यावश्यक विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना एवं उस पर सरकार की ओर से वक्तव्य :**

(क) बाणसागर डैम का निर्माण 100-107

5. **लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना :**

(क) राँची विश्वविद्यालय में व्याख्याताओं, गृहसंरक्षिका, पत्राचार, लिपिक की बहाली एवं छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था 107-109

5. दैनिक निबंध 110-114

नोट : जिन माननीय सदस्यों का संशोधन प्राप्त नहीं है, उनके नाम के आगे तारा (★) चिन्ह लगा दिया गया है।

बिहार विधान-सभा वाद-वृत्त

वृहस्पतिवार, तिथि 9 जुलाई, 1987 ई०।

भारत के संविधान के उपबन्ध के
अनुसार एकत्र विधान-सभा
का
कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में
वृहस्पतिवार तिथि 9 जुलाई, 1987 को
पूर्वाह्न 11 बजे
अध्यक्ष, प्रो० शिवचन्द्र झा के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ

अध्यक्ष : आज दिनांक 9.7.87 के लिये निम्नलिखित माननीय सदस्यों द्वारा कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गयी है। नियमानुकूल नहीं होने के कारण इसे अमान्य किये गये। मो० मुश्ताक, आप दो शब्दों में उसे बोलिये।

★श्री मो० मुश्ताक : अध्यक्ष महोदय, पूर्णियाँ जिला के 27 गाँवों में विगत तीन वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन नियोजन गारंटी कार्यक्रम के तहत जिन सड़कों का निर्माण किया गया, उन पर कलभर्ट एवं कठपुतलियों का निर्माण अब तक नहीं किये जाने के कारण उक्त योजनाओं में बनी सड़कें भारी बरसात एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गयी है। पक्की सड़क से गाँव का सम्पर्क टूट गया है। ग्रामीण को गाँव से बाहर निकलना कठिन हो गया है।

अतः मैं माँग करता हूँ कि आज विधान सभा की कार्यवाही स्थगित रखकर इस पर बहस की जाय।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री छेदी पासवान, आपने उच्चतम न्यायालय का कोई रेकर्ड नहीं दिया है, इसलिये आप इसे नहीं उठायें।

★श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, मुझे कहने दिया जाय। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय, उच्चतम न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा पूरी कर लेने वाले कैदियों को अविलम्ब रिहा करने के निर्देश के बावजूद इस कानूनी फैसले की परिधि में आने पर भी बिहार के दर्जनों जेलों के लगभग एक हजार कैदियों को रिहा नहीं किया गया।

17-18 साल से जेलों में सड़ रहे कैदियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति चिन्तनीय है। बिहार के कारा-महानिदेशक ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में अपने पत्रांक 1186 दिनांक 5 मार्च, 1986 के द्वारा बिहार भर के जेलों में ऐसे कैदियों की सूची प्राप्त कर विधि विभाग को भेज दी, लेकिन करीब एक साल की अवधि बीत जाने के बावजूद विधि विभाग ने अपनी हरी झंडी नहीं दिखायी। फलस्वरूप उच्चतम न्यायालय का आदेश रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ है।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माँग करता हूँ कि आजीवन कारावास की सजा पूरी कर लेने वाले कैदियों को अविलम्ब रिहा कराने के लिये सभा की कार्यवाही को रोक कर इस पर सदन में बहस कराने का आदेश दें।

★श्री हिन्द केशरी यादव : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिले के अन्तर्गत मीनापुर क्षेत्र स्थित बूढ़ी गंडक में 17 किलोमीटर तटबंध 1954 से ही बांधने हेतु खुला हुआ है, जिससे हर साल 15 से 20 फीट पानी एकाएक प्रवेश कर मीनापुर, मधुवन, तरियानी, बेलसंड, रूनीसैदपुर, बोचहा, कटरा, गायघाट, औड़ाई, मुरौल, सकरा को पूर्णतः तहस-नहस कर विनाशकारी हिरोसिमा जैसा दृश्य उत्पन्न हो गया है। 23 मई, 1987 को माननीय मुख्यमंत्री उक्त 17 किलोमीटर तटबंध बांधने हेतु बाड़ामरती में शिलान्यास करने वाले थे, जो अचानक रद्द हो गया। अतः आज सदन की कार्यवाही स्थगित कर इस विषय पर विचार हो।

★श्री रामदास राय : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार के कार्मिक विभाग के पत्रांक 11/आ० 1-108 का० 230 दिनांक 3 अप्रील,

1986 के द्वारा राज्य के 70 प्रतिशत पिछड़ी जातियों को मिलने वाली आरक्षण को प्रमंडल, जिला स्तर की नियुक्तियों में आरक्षण समाप्त कर दिया गया है जिससे सरकार की आरक्षण नीति खोखला एवं पिछड़ी जातियों के खिलाफ साबित हुआ है। दिनांक 10 नवम्बर, 1978 को पिछड़ी जाति के चार श्रेणियों को 26 प्रतिशत नियुक्तियों में राज्य, प्रमंडल, जिला स्तर एवं निगमों, बोर्डों एवं विश्वविद्यालयों की नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान था, जिसे रद्द कर दिया गया है। मात्र राज्य स्तर की रिक्तियों पर ही आरक्षण लागू रहेगा। न्यायपालिका में 10 नवम्बर, 78 के संकल्प के अनुसार नियम में संशोधन कर आज तक आरक्षण नहीं दिया गया है जो पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के साथ घोर अन्याय है। कांग्रेस (ई) सरकार नियुक्तियों में पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को आरक्षण देने के विरुद्ध है। पिछड़ी जातियों को 26 प्रतिशत आरक्षण जिला, प्रमंडल एवं राज्य स्तर की नियुक्तियाँ विश्वविद्यालयों, बोर्डों एवं निगमों की रिक्तियों में आरक्षण नीति लागू की जाय।

अध्यक्ष : अब आप कृपया बैठ जायें। इस सम्बन्ध में मैं एक सूचना दे रहा हूँ। इस सम्बन्ध में बहुत से ऐसे बिन्दु आ चुके हैं, जिसमें कि इसी सत्र के अन्दर में आपको इस पर मौका मिलेगा, प्रश्न आदि एडमिट किये जा चुके हैं, आपको मौका मिलेगा उस समय इस बात को रखने का।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यगण एक साथ खड़े होकर बोलने लगे।)

अध्यक्ष : शांति। आपको क्या कहना है ?

★श्री सत्यनारायण दुदानी : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर आप सरकार से स्टेटमेंट दिलावें। आरक्षण की पूरी नीति बदल दिया गया है। सरकार के पिछले आदेश एवं सरकुलर को उलट दिया गया है।

अध्यक्ष : सदन के द्वारा इसकी सूचना दी जायेगी तो कार्य मंत्रणा समिति में रख कर उस पर विचार करेंगे।

★श्री सोनाधारी : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में भोजपुर जिला का सहार, उदवन्तनगर तथा संदेश प्रखंड और उग्रवादी इलाका है। इसी इलाके में बिहार राज्य के अन्तर्गत सर्वप्रथम नक्सलवाद का जन्म हुआ था। फिर भी सरकार इस इलाके में खासकर संदेश निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी प्रवृत्ति पर रोक के लिये, विकास कार्य के अन्तर्गत आवश्यक सड़क निर्माण कार्य पर ध्यान नहीं दे रही है। सहार प्रखंड के अन्तर्गत अगिआँव मवेशी बाजार से पोसवां, अहिले, धोबड़ी, खिड़ी, मेघड़िया, कमरिया एवं अजीमाबाद होते किरकिरी तक जानेवाली कच्ची सड़क का आजादी के बाद आज तक जीर्णोद्धार पक्की सड़क के रूप में नहीं हुआ। 25-30 गांव जो घनी आबादी वाला है उसका इस सड़क के बन जाने से चतुर्दिक विकास होगा। उग्रवादी तत्व नियंत्रित होगा। विधि व्यवस्था की समस्या बनी रहेगी। सरकार विशेष ध्यान देकर उक्त सड़क का निर्माण करावे ताकि उक्त इलाके में अमन-चैन कायम हो सके।

★श्री विनायक प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, कार्यस्थगन की सूचना जो मैंने दी है उसके साथ अखबार की कटिंग लगा दी गई है।

सहरसा क्षेत्रीय उप-निदेशक के निवास पर चपरासी, श्री सुभाष चौधरी को गत 2 जुलाई को हुई कथित हत्या की ओर आपका ध्यान दिलाते हुए कहना है कि उपर्युक्त सरकारी सेवक की हत्या के बड़े रहस्यमय पर्दे उठ रहे हैं और पुलिस थैली लेकर हत्याकांड को दबाना चाह रही है। इस घटना से सहरसा और आसपास का वातावरण गर्म है। श्री चौधरी को बेरहमी से थूर-थूर कर मारा गया और अन्त में उसकी बोटी-बोटी काट कर फेंकना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं हो सका तो लाश को जला दिया गया।

अतः उपर्युक्त विषय पर चर्चा के लिये सदन स्थगित हो।

★**श्री कर्पूरी ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 30.6.1987 को समस्तीपुर जिला के मोहद्दीनगर बाजार जहाँ थाना और प्रखंड मुख्यालय स्थित है, में एक बारात पार्टी पर लगभग 10 बजे रात में करीब छः व्यक्तियों ने हमला बोल दिया और दो आदमी को भयंकर रूप से जख्मी बना दिया जिसके फलस्वरूप श्री राजेश कुमार, उम्र 11 वर्ष, मोहद्दीनगर की मृत्यु चार दिनों के बाद हो गयी और दूसरे घायल व्यक्ति श्री अर्जुन कुमार, उम्र 13 वर्ष घायलावस्था में पड़े हैं। थाना की ओर से वहाँ अब तक कोई कार्रवाई हमलावरों और हत्यारों के विरुद्ध नहीं की गयी है। बाजार में भयंकर आतंक व्याप्त है। जिला प्रशासन को भी इस सम्बन्ध में सूचना दी गयी है और 164 दफा के अन्दर दो-तीन आक्रान्त व्यक्तियों की ओर से बयान दिये जा चुके हैं। हमलावरों और हत्यारों को पकड़ने में सरकार की विफलता सर्वथा सिद्ध है।

मैं लोक-महत्व के अत्यावश्यक विषय पर वाद-विवाद हेतु सदन

की कार्यवाही को स्थगित करने के लिये प्रस्ताव पेश करता हूँ।

अध्यक्ष : सभी कार्यस्थगन प्रस्ताव अमान्य घोषित किया जा चुका है।

शून्यकाल की चर्चाएँ

(क) बाँके यादव के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई

★श्रीमती पूनम देवी : अध्यक्ष महोदय, श्री बाँके यादव ग्राम पोठही, थाना पुनपुन, जिला पटना की पटना जंक्शन के रेलवे पुलिस द्वारा 15.4.87 को हत्या कर दी गई। इस जघन्य हत्या की सूचना श्री बांके यादव की पत्नी सोना देवी द्वारा आरक्षी महानिरीक्षक, रेलवे को 18.4.1987 को दी गई। फिर जुलाई में स्मार दिया गया परन्तु अभी तक हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अतः सरकार इसकी अविलम्ब जाँच करावे।

(ख) लखनदेई नदी से भौप्रसाद गाँव की जनता को जानमाल की खतरा

★श्री खलील अंसारी : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत भौप्रसाद ग्राम जो लखनदेई नदी के विल्कुल किनारे आबाद है नदी के कटाव से ग्राम की जनता को जानमाल की खतरा हरदम बना रहता है। किसी समय पूरी बस्ती नदी की गोद में जा सकती है। अभी तक कितने लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। ग्राम की सुरक्षा हेतु प्रशासन का ध्यान बार-बार आकृष्ट कराने के बावजूद भी जानमाल की रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि ग्राम भौप्रसाद की जनता को लखनदेई नदी की गोद में जाने से बचाने की शीघ्रातिशीघ्र प्रवन्ध कगया जाय।